उत्तर प्रदेश शासन

प्रवासी भारतीय (NRI) अनुभाग

संख्या-425/93-20-2NRI(WEB)/2014

लखनऊ : दिनांक:22 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीयों को मान्यता प्रदान करते हुए "NRI CARD" निर्गत करने का निर्णय शासनादेश संख्या-1906/77-6-14-2NRI(WEB)/2014 दिनांक: 28.11.2014 द्वारा लिया गया है, इस कार्ड के माध्यम से वह शासकीय उच्चाधिकारियों से सुगमता से भेंट कर सकेंगे तथा भविष्य में प्रदान किये जाने वाले तृतीय पक्ष के लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे |

2- एन.आर.आई कार्ड की सुविधा पात्र व्यक्तियों को अनुमन्य किये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत पूर्व में विद्यमान व्यवस्था में संशोधन करते हुए एतद्द्वारा कार्यहित में निम्नांकित व्यवस्था की जाती है:-

1. आवेदनकर्ता द्वारा पासपोर्ट के विवरण के साथ इस आशय का घोषणा-पत्र (Declaration)उपलब्ध कराया जायेगा कि वह विदेश में अमुक स्थान (विदेश में उसका वर्तमान पता) पर निवास कर रहा है एवं उत्तर प्रदेश मूल(originated) का है, साथ ही, INCOME TAX ACT-1961 के अनुसार NON-RESIDENT INDIAN है तथा उत्तर प्रदेश का निवास स्थल का पता भी उपलब्ध कराया जायेगा | इस सम्बन्ध में प्रथम आवेदन तथा नवीनीकरण के प्रत्येक अवसर पर आवेदनकर्ता के लिए घोषणा-पत्र का प्रारूप (format) निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

Declaration

I_____________(applicant name as mentioned in Passport), residing at______________(Present address) declare that I am a Non- Resident Indian originated from Uttar Pradesh (as per the provision given in the Income Tax Act 1961). My Address in Uttar Pradesh is ....

...

Place:____________

Date:____________

(Applicant's Signature)

2. NRI CARD की वैधता अवधि पूर्ववत 01(एक) वर्ष होगी एवं NRI Card निर्गत (issue) करने की समय-सीमा (TIMELINE) अधिकतम 10 कार्यदिवस निर्धारित की जाती है एवं 07 कार्यदिवस के अंतर्गत आवेदनकर्ता के "NRI CARD" का नवीनीकरण (RENEWAL) किया जायेगा |

3- शासनादेश संख्या-1906/77-6-14-2NRI(WEB)/2014 दिनांक: 28.11.2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी |

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे |

आलोक

(आलोक कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-425(1)/93-20-2NRI(WEB)/2014 तद्दिनांक:

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ.प्र. शासन |
2- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ |
3- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, एन.आर.आई सेल, कानपुर-208001 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें |
4- प्रबंध निदेशक, UPDESCO, अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर लखनऊ |
5- समस्त मंडलायुक्त / जिलाधिकारी, उ.प्र. |
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ.प्र, |
7- CEO, Invest UP, 12, सी माल एवेन्यू, लखनऊ |
8- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ.प्र. |
9- समस्त मा० मंत्री / राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ.प्र. शासन |
10- निजी सचिव, मा० मंत्री, प्रवासी भारतीय विभाग, उ.प्र. शासन |
11- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/ विशेष सचिव प्रवासी भारतीय विभाग, उ.प्र. शासन |
12- प्रभारी, एन.आर.आई सेल, उ.प्र. वित्तीय निगम, कानपुर |

आज्ञा से,

(डॉ० मुथुकुमारसामी बी.)
विशेष सचिव |